मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 26 जुलाई, 2000 (श्रावण 4, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रत्नेश सॉलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (म.प्र.) का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 (दिनांक 1-7-98 से दिनांक 30-6-99 तक) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, पर्यटन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर जिले के रेहली में सुनार नदी पर पुल के अभाव में हुई दुर्घटनाओं से अनेक मौतें होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री सुनील नायक, बृजमोहन अग्रवाल, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, टीकमगढ जिले के जतारा नगर व सिमरिया ग्राम में एक परिवार के व्यक्तियों द्वारा नागरिकों से मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ जिले के -
(क) ग्राम तरीचरकलां के कृषकों को विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने,
(ख) ग्राम चुरारा में अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने; तथा
(ग) ग्राम तरीचरकलां में भू-भाटक राशि की वसूली स्थगित कराये जाने,

(2) श्री नित्यनिरंजन खम्परिया, सदस्य, जबलपुर जिले के सिहोरा नगर स्थित शासकीय श्याम सुन्दर अग्रवाल महाविद्यालय भवन एवं छात्रावास को शासनाधीन लिये जाने; एवं

(3) श्री रामप्रताप सिंह, सदस्य, सतना जिले में बरगी दायीं तट नहर का कार्य प्रारम्भ कराये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. मध्यप्रदेश किराया विधेयक, 1999 (क्रमांक 25 सन् 1999) पर निर्मित प्रवर समिति में हुए रिक्त एक स्थान की पूर्ति

श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 68 के उपनियम (1) के साथ सहपठित नियम 177 के उपनियम (3) के तहत् मध्यप्रदेश किराया विधेयक, 1999 (क्रमांक 25 सन् 1999) पर निर्मित प्रवर समिति में हुए रिक्त एक स्थान पर श्री गणेशशंकर बाजपेयी, सदस्य, को नियुक्त किया जावे".

6. लोक लेखा तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों में रिक्त हुए एक-एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3) तथा नियम 223-ख के उपनियम (1) के साथ सहपठित नियम 177 के उपनियम (3) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2000-2001 की शेष अवधि के लिए क्रमशः लोक लेखा तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों में हुए रिक्त एक-एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से एक-एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों".

7. वर्ष 2000-2001 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान वित्त मंत्री, वर्ष 2000-2001 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

2 घन्टे (शेष 1 घन्टा 30 मि.) — (1) श्री रत्नेश सॉलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) संशोधन विधेयक, 2000 (क्रमांक 19 सन् 2000) पर विचार किया जाय______चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (2) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 20 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. — (3) श्री धनेन्द्र साहू, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 21 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. — प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री भूपेन्द्र सिंह, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरोत्तम मिश्र, लाल सिंह, लवकेश सिंह, नारायण प्रसाद चंदेल, अमर अग्रवाल, मुन्ना सिंह, प्रभाकर सिंह तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 25 जुलाई, 2000